

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (स्था0) 02/2022-210

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग,
झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक:- 08.03.2022

विषय:-

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय हेतु निम्न वर्गीय लिपिक को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या:-3905, दिनांक:-11.12.2018 के द्वारा आयोग हेतु पदों का सृजन किया गया है जिसमें एक पद निम्न वर्गीय लिपिक का है, जिनके पदस्थापन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अनुरोध किया गया है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अब आयोग में घोषित हैं, एवं विपत्रों के भुगतान एवं अन्य लेखा कार्य अब आयोग स्तर से ही किया जाना है। निम्न वर्गीय लिपिक की पदस्थापन न होने के कारण उल्लेखित कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होगी।

अतः अनुरोध है कि निम्न वर्गीय लिपिक का पदस्थापन होने तक एक क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक को आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)
सदस्य सचिव

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।